यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली (चमोली) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली (चमोली) के माह 11/2014 से 05/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री विजय कुमार, व.ले.प. श्री रवि शंकर, स.ले.प.अ. एवं श्री एस.एस. राणा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 29.06.2017 से 07.07.2017 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1). <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की पृथक रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः आई.सी.डी.एस.के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 विशिष्ट सेवायें समन्वित रूप में लाभार्थियों को प्रदान की जाती है- (1) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (2) स्वास्थ्य परीक्षण (3) सन्दर्भ सेवायें (4) प्रतिरक्षा टीकाकरण (5) नंदा देवी कन्या योजना का संचालन (6) अपदाग्रस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/पुननिर्माण एवं अनुरक्षण

इकाई द्वारा संचालित योजनायें

(1) समेकित बाल विकास सेवायें
(2) अनुपूरक पोषाहार
(3) नन्दा देवी कन्या योजना
(4) मुख्यमंत्री वृद्धा महिला पोषण योजना

} समस्त बाल विकास परियोजना से आच्छादित थराली क्षेत्र

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0	0	94.57	82.87	58.00	33.93	-	35.77
2015-16	0	0	86.12	75.17	43.30	39.99	-	14.26
2016-17	0	0	90.57	79.51	68.30	48.98	-	30.38

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
----------शून्य----------					

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली (चमोली) एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली (चमोली) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2015 से 03/17 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I नन्दा देवी कन्या योजना, आई.सी.डी.एस., पूरक पोषाहार, मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण। बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली (चमोली) का विस्तृत विश्लेषम किया गया। प्रतिचयन लागत एवं राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- ब्याज की धराशि रू. 1,47,579.00 का शासकीय खातें में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश सं.- यू.ओ.18/XXVII(6)-टी.सी.ए.-934-2014, दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश सं. 610/XVII(4)/2017-2(8) 2017 दिनांक 26.04.2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खातें में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में न जमा करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक वित्तीय अनियमितता है तथा निर्देशित किया है कि जितने भी बैंक खातें है उनमें ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली (चमोली) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा पदनाम बैंक खातें में दिनांक 25.12.2014 से 25.06.2017 तक कुल रू. 147579.00 का ब्याज अर्जित किया गया था जिसे उक्त आदेश के आलोक में तत्काल शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (जून-जुलाई 2017) तक भी ब्याज की धनराशि शासकीय खाते में जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी के अभाव में ब्याज को जमा नहीं किया जा सका तथा शीघ्र ही शासकीय खातें में जमा कर दिया जायेगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता हैं। अतः रू. 147579.00 की ब्याज प्राप्ति की राशि को शासकीय खातें में जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 321 लाभार्थियों को विवरण हेतु निर्गत रू. 48.15 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखा जाना।

बाल विकास परियोजना अधिकारी थराली के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत विगत वर्षों के 321 लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु मुख्यालय द्वारा रू. 48,15,000/-की धनराशि इकाई को प्रदान की गयी (मार्च 2017)। परन्तु चार माह की अवधि के पश्चात लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2017) तक उक्त धनराशि का विवरण लाभार्थियों के मध्य न किया जाकर उसको इकाई के बैंक खाते में अवरूद्ध रखा गया था इस प्रकार 321 लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित थे। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लाभार्थियों के बैंक खाता विवरण उपलब्ध न होने के कारण भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के लाभ हेतु आवेदन परियोजना स्तर पर ही प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र प्राप्त करते समय उसकी समुचित जांच कर कमियों को दूर कर लिया जाना चाहिए था ताकि लाभार्थियों को समय से योजना का लाभ मिल पाता। आवेदनपत्र की कमियों को आधार बनाकर योजना का धनराशि में बिलंव किया जाना योजना के उद्देश्यों का विपरीत था। अतः लाभार्थियों हेतु धनराशि प्राप्ति के चार माह की अवधि के पश्चात भी 321 लाभार्थियों को इसके लाभ से वंचित रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली (चमोली) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री देव सिंह	सी.डी.पी.ओ.	23.11.2014 से 14.01.2015
2.	श्री संजय गौरव	सी.डी.पी.ओ.	15.01.2015 से 03.01.2017
3.	श्री देव सिंह	सी.डी.पी.ओ.	04.01.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली (चमोली) को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)